<u>प्रेस नोट</u>

थाना उल्दन, झाँसी

<u>दिनाँक 12.04.2025</u>

- **थाना उल्दन पुलिस टीम द्वारा 04 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **कब्जे से पीली धातु (नकली सोना) की ईंट व 06 चैनें, 03 अवैध असलहा-कारतूस, चार पहिया वाहन (अर्टिगा) व 5,000/- रुपये बरामद-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना उल्दन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 04 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से पीली धातु (नकली सोना) से बनी ईंट व 06 चैनें, लोहा की छेनी, 02 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 5,000/- रुपये व 01 चार पहिया वाहन (अर्टिगा) बरामद किया गया। **उक्त अभियुक्तगण ग्रामीण क्षेत्रों में भोले-भाले मासूम लोगों को बात करते उन्हें उक्त नकली सोने की ईंट और चैन को असली सोने की होने का भरोसा दिलाकर उनके साथ छल करके पैसा ठगते है और सोने की जगह ये नकली सोने की ईंट व आभूषण दे देते हैं।** उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना उल्दन पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 61/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>संक्षिप्त विवरण:</u>

दिनाँक 11.04.2025 को थाना उल्दन पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना रानीपुर रोड पर सड़क के किनारे, ग्राम निमौनी थाना उल्दन, झाँसी से समय करीब 20:55 बजे अभियुक्तगण 1. अजमेरी अली उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रहमत अली 2. फैजान अली उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र गुलाम गौस 3. गुलाम गौस उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र छोटे 4.रमजान खान (नट) उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र शिवबालक निवासीगण ग्राम बांधी थाना रैपुरा जिला चित्रकूट उ0प्र0 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु (नकली सोना) से बनी 01 ईंट व 06 चैनें, लोहा की छेनी, 02 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध

रिवाल्वर 32 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 5,000/- रुपये व 01 चार पहिया वाहन (अर्टिगा) बरामद किया गया। बरामद चार पहिया वाहन को एमवी एक्ट में सीज किया गया। उक्त अभियुक्तगण ग्रामीण क्षेत्रों में भोले-भाले मासूम लोगों को बात करते उन्हें उक्त नकली सोने की ईंट और चैन को असली सोने की होने का भरोसा दिलाकर **उनके साथ छल करके पैसा ठगते है और सोने की जगह ये नकली सोने की ईंट व आभूषण दे देते हैं। उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना उल्दन पर अभियुक्तों के विरुद्ध** मु0अ0सं0 61/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. अजमेरी अली उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रहमत अली
2. फैजान अली उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र गुलाम गौस
3. गुलाम गौस उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र छोटे
4. रमजान खान (नट) उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र शिवबालक निवासीगण ग्राम बांधी थाना रैपुरा जिला चित्रकूट उ0प्र0

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

पीली धातु (नकली सोना) से बनी 01 ईंट व 06 चैनें, लोहा की 01 छेनी, 02 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 5,000/- रुपये व 01 चार पहिया वाहन (अर्टिगा)

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –</u>

1. श्री दिनेश कुरील प्रभारी निरीक्षक थाना उल्दन जनपद झांसी
2. उ0नि श्री साजेश कुमार चौकी प्रभारी बंगरा थाना उल्दन जनपद झांसी
3. उ0नि0 श्री रमाशंकर तिवारी थाना उल्दन जनपद झांसी
4. का0 807 योगेन्द्र सिंह थाना उल्दन जनपद झांसी
5. का0 662 रोहित पाठक थाना उल्दन जनपद झांसी
6. का0 592 दीपचन्द मौर्य थाना उल्दन जनपद झांसी